

06

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S Radhe Krishna construction (Regd. No-1220279), Vill+PO-Pachrukhiya, PS-Koilwar, Dist-Bhojpur, Pin-802204 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9758 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 18.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

17/10/2025

आदेश

संवेदक M/S Radhe Krishna construction (Regd. No-1220279) की ओर से Rakesh Ray, Vill+PO-Pachrukhiya, PS-Koilwar, Dist-Bhojpur, Pin-802204 एवं विभाग की ओर से प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद उपस्थित।

प्रस्तुत मामला संवेदक M/S Radhe Krishna construction द्वारा कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-140454) में फर्जी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9758 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:-

1. प्रश्नगत निविदा में संवेदक द्वारा L-027 To Kanua Teli Tola पथ निर्माण से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का पत्रांक 2278 दिनांक 30.07.2022 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।
2. उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन विभागीय OMMAS वेबसाइट से कराने पर पाया गया कि संदर्भित पथ निर्माण कार्य किसी अन्य संवेदक शिव कृष्णा बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा पूर्ण कराया गया है एवं उक्त पत्रांक एवं दिनांक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संवेदक शिव कृष्णा बिल्डर्स प्रा0 लि0 के नाम से निर्गत किया गया है।
3. तदालोक में निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत संवेदक को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9758 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।
4. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 18.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में बताया गया है कि साईबर कैफे द्वारा भुलवश फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक M/S Radhe Krishna construction (Regd. No-1220279) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9758 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने की अवधि को घटाकर 06(छः) महीने के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।
तदनुसार वाद निष्पादित।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2025 : 11250 /पटना, दिनांक- 3.11.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार) 3/11/25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2025 : 11250 /पटना, दिनांक- 3.11.25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

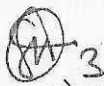

3/11/25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2025 : 11250 /पटना, दिनांक- 3.11.25
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

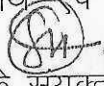

3/11/25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-77/2025 : 11250 /पटना, दिनांक 3.11.25
प्रतिलिपि:- संवेदक M/S Radhe Krishna Construction, Vill+P.O-Pachrukhiya, P.S-Koilwar, Dist-Bhojpur Bihar Pincode-802204 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित


3/11/25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2025 : 11250 /पटना, दिनांक- 3.11.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3/11/25
सरकार के संयुक्त सचिव